क्र.सं.6

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर–05

क्रमांक : एफ.15(1)आयु.उ./EM-अनु./EM मार्गदर्शन/2011 दिनांक : 26/8/2011

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
जयपुर (शहर)।

विषय : MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत EM Part-I के संबंध में रिकार्ड के नष्टीकरण बाबत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक–एफ.( )ईएम–I/स्टोर/जिउकेश/3544 दिनांक 5.8.2011

उपर्युक्त विषयान्तर्गत MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत उद्यमिता ज्ञापन पार्ट–I की वैद्यता अवधि दो वर्ष निर्धारित है। दो वर्ष पूर्ण होने पर उक्त अभिस्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जाती है। जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में EM Part-I से संबंधित रिकार्ड के नष्टीकरण के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उद्यमिता ज्ञापन पार्ट–I की वैद्यता अवधि समाप्ति के एक वर्ष तक रिकार्ड सुरक्षित रखा जावे एवं एक वर्ष समाप्ति के पश्चात उक्त रिकार्ड के नष्टीकरण की कार्यवाही की जावे।

रिकार्ड नष्ट करने के पूर्व अपने स्तर से नष्ट किये जाने वाले रिकार्ड संबंधी सूचनाओं का इन्द्राज एक पंजिका में अवश्य कर लेवें, ताकि किसी भी समय यह ज्ञात हो सके कि अमुक अवधि में किन–किन उद्यमों को उद्यमिता ज्ञापन भाग–प्रथम पर अभिस्वीकृति सूचना जारी की गई है।

आयुक्त, उद्योग

क्रमांक : एफ.15(1)आयु.उ./EM-अनु./EM मार्गदर्शन/2011 दिनांक : 24/8/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उपकेन्द्र, समस्त।

August 23, 2011.
संयुक्त निदेशक, उद्योग